FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत **जिला कलक्टर, अलवर** मुकाम **अलवर**

उनवान **आकूब खान** बनाम **सरकार जरिये एसएचओ गोविन्दगढ़**

किस्म मुकदमा **प्रा0पत्र वास्ते सुपुर्दगी आर.बी.एक्ट** नम्बर **15/30/2024**

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.06.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस सुनी गई। जप्तशुदा अन्तर्गत धारा 5, 8 आर.बी.एक्ट पुलिस थाना गोविन्दगढ़ दुधारू गाय व बछडे को सुपुर्दगी पर दिये जाने हेतु निवेदन किया था। जिस पर पुलिस थाना गोविन्दगढ़ से सुपुर्दगी के संबंध में रिपोर्ट तलब की गयी। मुकामी पुलिस थाना द्वारा पत्रांक 673 दिनांक 27.03.2024 के द्वारा रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया है कि मुकदमा हाजा में जप्त माल मशरूका एक दुदारू गाय मय एक छोटा बछडा को असल मालिक को सुपुर्दगी पर दिये जाने पर मुकामी पुलिस को कोई आपत्ति नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा जप्तशुदा दुधारू गाय व एक बछडे के मालिकाना हक के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किये गये है। उक्तानुसार जप्तशुदा पशुधन को प्रार्थी को दिया जाना उचित नहीं समझते है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रा0पत्र सुपुर्दगी खारिज किया जाता है तथा थानाधिकारी पुलिस थाना गोविन्दगढ़ जिला अलवर को आदेश दिये जाते हैं कि प्रकरण में जप्तशुदा दुधारू गाय व एक बछडे को श्री दिगम्बर जैन सुधासागर गौशाला समिति, बगड़ तिराहा के पास, रामगढ़ रोड़, अलवर राज0 को सुपुर्दगी में दिया जावे। निर्णय की प्रति संबंधित थानाधिकारी पुलिस थाना गोविन्दगढ़ जिला अलवर को पालनार्थ प्रेषित की जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। जिला कलक्टर जिला कलक्टर अलवर (राज0)	